Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed /Refereed Open Access Journal
Vol. 3, Issue 3, July-September, 2025
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/
ISSN : 3048-6971

उत्तर प्रदेश में आंतरिक प्रवासन का सामाजिक – आर्थिक प्रभाव का एक साहित्यिक समीक्षा : वाराणसी मंडल के विशेष संदर्भ में

आदित्य नारायण
शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
डॉ. राजेश सिंह चौहान
सहायक प्रोफेसर
नेशनल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोगांव, मैनपुरी

सारांश :
उत्तर प्रदेश, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, आंतरिक प्रवासन की दृष्टि से अत्यंत सक्रिय राज्यों में से एक है। राज्य के भीतर ग्रामीण से शहरी, अर्ध–शहरी, तथा अन्तर–जिला प्रवासन के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। यह प्रवासन केवल जनसांख्यिकीय नहीं, बल्कि सामाजिक सरंचना में परिवर्तन, शिक्षा के क्षेत्रों में अवसरों में परिवर्तन, पारिवारिक संबंधो में परिवर्तन, जीवनशैली में परिवर्तन का प्रमुख कारक भी प्रभावित कर रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र में वाराणसी मण्डल जिसमें वाराणसी, चंदौली, जौनपुर तथा गाजीपुर जैसे जिले आते हैं को केन्द्र में रखकर आंतरिक प्रवासन के सामाजिक– आर्थिक प्रभावों का साहित्यिक विश्लेषण किया गया है। इस शोध पत्र में यह पाया गया कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, तथा जीवन स्तर में सुधार की अपेक्षा प्रवासन का प्रमुख प्रेरक है। प्रवासन से एक ओर प्रवासी परिवारों की आय में वृद्धि और उपभोग स्तर में सुधार देखा गया, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक विघटन, सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन तथा ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं का पलायन जैसी चुनौतियाँ भी उभर कर सामने आ रही है। वाराणसी मण्डल में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास के कारण वहाँ की पारंपरिक कृषि व्यवस्था, श्रम संरचना और सामाजिक ताने–बाने पर सीधा प्रभाव पड़ा है। इस शोध पत्र में आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए द्वितीयक (जनगणना, एनएसएसओ रिपोर्ट, नीति आयोग के आंकड़े) स्रोतों पर केंद्रित किया गया है। अंततः इस शोध पत्र से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि प्रवासन को सही नीति और योजनाओं के माध्यम से नियंत्रित किया जाए, तो यह क्षेत्रीय विकास का एक सशक्त माध्यम बन सकता है।

कीवर्ड : उत्तर प्रदेश, वाराणसी मण्डल, आंतरिक प्रवासन, सामाजिक – आर्थिक, चुनौतियों, नीति.

प्रस्तावना :
प्रवासन हाल के वर्षों में एक सार्वभौमिक घटना बन गई है तथा सामान्य रूप से प्रवासन का तात्पर्य है कि जब बड़ी संख्या में लोग काम– धंधा या रोजगार के तलाश में किसी दूसरे क्षेत्र या दूसरे देश में रहने के लिए जाते हैं तो यह प्रक्रिया प्रवासन कहलाता है। दुनिया भर में लाखों लोग अपने सामान्य निवास स्थान को छोड़कर कहीं और अपना भाग्य तलाशने (काम– धंधा या रोजगार) के लिए चले जाते हैं। (जोसेफ, 1998) एक व्यक्ति जो अपने मूल देश को विशुद्ध रूप से आर्थिक कारणों से छोड़ देता है, जो किसी भी तरह से शरणार्थी परिभाषा से संबंधित नहीं है, ताकि उनके आजीविका में भौतिक सुधार हो सके।
(यूरोपीयन कमीशन)
प्रवासन आर्थिक विकास से जुड़ी एक अनिवार्य प्रक्रिया है जिसका प्रभाव उन दोनों देशों या क्षेत्रों पर पड़ता है जहां से प्रवासी श्रमिक आते हैं तथा जिन क्षेत्रों में वे जा कर बस जाते हैं।
प्रवासन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं–
(क) अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन
(ख) आंतरिक प्रवासन
भारत में मुख्यतः आंतरिक प्रवासन अधिक देखने को मिलता है। यह राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर अपने निवास स्थान में परिवर्तन को संदर्भित करता है जैसे कि राज्यों, प्रान्तों, शहरों एवं गावों और नगर पालिकाओं के बीच होते रहते हैं।
एक आंतरिक प्रवासी वह है जो एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र में जाते हैं तथा आंतरिक प्रवासन को प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में जिसमें शहरी औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र से अतिरिक्त श्रम को धीरे–धीरे वापस ले लिया जा सकता है। (टोडरो और स्मिथ, 2004)
भारत में अपनाई गई नव उदारवादी नीतियों ने आंतरिक प्रवासन की गति को तेज कर दिया है। (मूसा और राजन, 2012)
भारत में आंतरिक प्रवासन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं–
(क) दीर्घकालीन आंतरिक प्रवासन – जिसमें लोगों का पूरा परिवार हमेशा के लिए अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर दूसरे जगह जाकर बस जाते हैं।
(ख) अल्पकालीन आंतरिक प्रवासन – जिसमें लोग अपने मूल निवास स्थान और काम की तलाश के बीच समय–समय पर जाते

रहते हैं, भारत में दीर्घकालीन आंतरिक प्रवासन की तुलना में अल्पकालीन आंतरिक प्रवासन ज्यादा देखने को मिलता है।
भारतीय जनगणना (2011) के अनुसार भारत में 45.36 करोड़ जनसंख्या आंतरिक प्रवासन करती है जोकि भारत के कुल जनसंख्या का 37 प्रतिशत है यानि भारत के 37 प्रतिशत आबादी अपने जन्म और मूल निवास स्थान पर न रहकर दूसरे जगह पर निवास करती है।
जिला के अंदर आंतरिक प्रवासन कुल आंतरिक प्रवासन का 62 प्रतिशत है, एक जिला से दूसरे जिलों में आंतरिक प्रवासन कुल आंतरिक प्रवासन का 26 प्रतिशत वाराणसी है और एक राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना आंतरिक प्रवासन कुल आंतरिक प्रवासन का 12 प्रतिशत है।
उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला और सबसे गरीब राज्यों में से एक है जिसके पास अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में अपर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं जिससे लोगों को या तो कृषि आधारित कार्य और इससे संबधित गतिविधियों पर निर्भर रहना पड़ता है या तो प्रवासन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उत्तर प्रदेश ने भारत में राज्यों के बीच सबसे अधिक आंतरिक प्रवासन शुद्ध का अनुभव किया गया है यद्यपि राज्य में देश की कुल शहरी आबादी का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा है लेकिन इसने भारत में कुल आंतरिक प्रवासियों के एक – चौथाई से अधिक योगदान देता है।
भारतीय जनगणना (2011) के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के लगभग 83 लाख निवासी या तो अस्थाई रूप से या स्थाई रूप से अन्य राज्यों में चले गए थे जबकि महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे बड़े रिसीवर राज्य थे। एसोचौम रिपोर्ट (2017) के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रवासन देखने को मिला है इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के संबंध में कहा गया है कि 20–29 आयु के लोगों का प्रवासन 1991–2001 में 29 लाख से बढ़कर 2002–2011 के बीच 58 लाख हो गया है और इस प्रवासन का कारण गरीबी और बेरोजगारी कें बनारस मंडल से तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के एक प्रशासनिक इकाई से है, बनारस मंडल में कुल चार जिले आते हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं वाराणसी, चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर जिला आता है। यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है तथा उद्योगों के अभाव होने के कारण यहां के लोग आजीविका की तलाश में प्रवासी श्रमिक बनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब श्रमिकों को आजीविका और रोजगार का कोई विकल्प नहीं मिलता है तथा मूल स्थान में उच्च आर्थिक क्रियाओं में सुधार की कोई उम्मीद नहीं होती है तो श्रमिक प्रवासन करता है। (लाल सेलोड़ और शालिजी, 2006)

उद्देश्य :

इस शोध पत्र का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के बनारस मण्डल में आतंरिक प्रवासन की प्रकृति, प्रवृत्तियों, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करना है ।
इस शोध पत्र में निम्न उद्देश्य को सम्मलित है –

- उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से बनारस मण्डल में आतंरिक प्रवासन का सामाजिक – आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करना।
- प्रवासन से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों का समीक्षा करना।

साहित्यिक अवलोकनः

पिपलाई और मजूमदार (1969) के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत में अधिकांश प्रवासी श्रमिक महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख औद्योगिक राज्यों की ओर प्रवासन करते हैं एवं प्रमुख रूप से आंतरिक प्रवास होने वाले क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे पिछड़े राज्य से आते हैं।
भट्टाचार्य (2002) के अध्ययन से बोध होता है कि भारत के शहरीकरण तथा ग्रामीण–शहरी क्षेत्र की आर्थिक विकास के लिए प्रवासन को एक अनिवार्य शर्त मानते हैं तथा आर्थिक आवश्यकताओं एवं शहरी क्षेत्र में बेहतर अवसरों की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शहर में प्रवासन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है।
घुमन, रणजीत सिंह, लखविंदर सिंह और इंद्रजीत सिंह (2007) के अध्ययने से हमें पता चलता है कि हरित क्रांति के बाद अधिक मात्रा में प्रवासी श्रमिक पंजाब तथा हरियाणा जैसे राज्यों में प्रवासी के रूप में चले गए। मजदूरों का यह प्रभाव 1980 के तुलना में 1990 के दर्शक में अधिक दिखाई दिए थे। इनमें से अधिकांश प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश एवं बिहार जैसे पिछड़े राज्यों से आए थे।
विपुल कांत सिंह (2011) के अध्ययन से यह बोध होता है कि भारत में आंतरिक प्रवासन मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुषों का प्रवासन का मुख्य कारण आर्थिक रूप से काम धंधा या रोजगार जुड़ा हुआ है जबकि महिलाओं का प्रवासन का मुख्य कारण विवाह से जुड़ा हुआ है। प्रवासी राज्यों में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सबसे आगे हैं एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार ने प्रवासन करने वाले क्षेत्रों में शीर्ष स्थान पर आते है।
राय और देवनाथ (2011) के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रति व्यक्ति आय पर बुनियादी ढांचे का स्तर शुद्ध प्रवासन दर के साथ सकारात्मक संबंध को प्रदर्शित करता है तथा बेरोजगारी एवं जीवन के लागत के साथ नकारात्मक संबंधों को प्रदर्शित करता है।
चक्रवर्ती और कुरी (2013) के अध्ययन से बोध होता है कि शहरी क्षेत्रों में बेहतर रोजगार के अवसर एवं सुविधाओं ने आर्थिक मोर्चे पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्जदारी एवं बेरोजगारी की समस्या ने प्रवासन के लिए पुश कारक का काम किया है।

मल्होत्रा और देवी (2014) के अध्ययन से बोध होता है कि भारत में प्रवासन श्रम बल की भागीदारी दर तथा पुरुषों और महिलाओं दोनों के रोजगार दर में वृद्धि किया है। प्रवासन सामान्य रूप से श्रम शक्ति का अधिक उत्पादक के रूप में उपयोग किया जाता है इसी कारण आर्थिक विकास में योगदान देता है। प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद और मानव विकास सूचकांक आंतरिक प्रवासन डर के साथ सकारात्मक और महत्वपूर्ण संबंधों को प्रदर्शित करता है।

आलोक कुमार चौबे और गायत्री राय (अक्टूबर 2020) के अध्ययन से बोध होता है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण– शहरी प्रवासन क्षेत्रीय प्रवृत्ति पर केंद्रित किया है। उन्होंने आंकड़े को एकत्रित करने के लिए भारतीय जनगणना 1991, 2001 और 2011 के द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया है। जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में ग्रामीण–शहरी प्रवासन में आर्थिक अवसर के रूप में वृद्धि देखा गया है।

आलोक कुमार चौबे और गायत्री राय (मार्च 2021) के अध्ययन से बोध होता है कि उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ में आंतरिक प्रवासन में वृद्धि के कारणों और प्रकारों पर केंद्रित किया गया है। उन्होंने आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए द्वितीयक स्रोतों और 2001–2011 के समय अवधि लिया गया। जिसके परिणाम स्वरूप जनपद लखनऊ में आंतरिक प्रवासन में वृद्धि का मुख्य कारण शहरीकरण की सुविधाएं (शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार ईटीसी.) हैं।

धर्मेंद्र प्रताप सिंह, राजेश्वरी बिरादर और लक्ष्मीकांत द्विवेदी (जनवरी 2021) के अध्ययन से पता चलता है कि भारत के उत्तर प्रदेश में प्रवासन की प्रवृत्ति पर केंद्रित किया गया है। हमने आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए भारतीय जनगणना (2011) द्वितीयक स्रोतों और आंकड़ों की तुलना करने के लिए 2001 एवं 2011 के समय अवधि को लिया गया है। जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में आंतरिक प्रवासन की तुलना में बाहरी प्रवासन अधिक होता है और राज्य के अंदर आंतरिक प्रवासन के कारण सामाजिक – आर्थिक विकास में असमानताएं देखने को मिल रहा है।

शोध पध्दति : इस शोध पत्र में आंकडों को एकत्रित करने के लिए द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है जैसे भारतीय जनगणना रिपोर्ट 2011, एनएसएसओ रिपोर्ट 75 वाँ राउंड, नीति आयोग की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट, विभिन्न प्रकार के शोध पत्र, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख को शामिल किया गया है। इस शोध पत्र में शोध की प्रकृति वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक रखा गया है, जिसके माध्यम से आतंरिक प्रवासन की प्रवृतियों, कारणों, सामाजिक – आर्थिक प्रभावों और नीतियों का विश्लेषण किया गया है।

वाराणसी मण्डल (वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर) में आंतरिक प्रवासन की प्रवृति लगातार बढ़ती जा रही है । जो प्रमुख रूप से ग्रामीणों क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की पलायन कर रहे है क्योंकि यह पलायन विभिन्न सामाजिक – आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है – जैसे गांवो में बेरोजगारी, गांवो में शिक्षा व्यवस्था का अभाव, गांवो में लोगों अपने जीवन स्तर सुधार के लिए, गांवो में लोगों के आय में कमी, एवं गांवो में संसाधनों की असमानता होती है।

जिसकों निम्न रूप से समझ सकते है –

सामाजिक कारण :

शिक्षा की बेहतर प्राप्ति के लिए : गांवो में उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नही होता है जिससे गांवो के लोगों अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए जैसे बनारस, लखनऊ, प्रयागराज, अलीगढ़, आगरा शहरों की ओर जाते है।

स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर प्राप्ति के लिए : गांवो एवं छोटे – छोटे कस्बों में लोगों को किसी भी गंभीर बीमारी के लिए अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवाओं के उपलब्धता का अभाव होता है। जिसके कारण वे लोग बेहतर इलाज के लिए शहरों जैसे सर सुन्दरलाल हॉस्पिटल्स वाराणसी, हैरिटेज हॉस्पिटल्स वाराणसी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, मोतीलाल नेहरू मंडलीय अस्पताल प्रयागराज, यूएचएम हॉस्पिटल आदि की ओर पलायन करते है

विवाह के कारण : गांवो के लोग अपने बच्चियों की शादी शहरों के लड़कों से करते है क्योंकि उनका मानना है की उनकी लड़की वहाँ खुश रहेगी। जिसके कारण महिलाओं का प्रवासन होता है ।

जीवन स्तर में सुधारने के लिए : गांवो एवं छोटे – छोटे कस्बों के लोगों अपने एवं परिवार के जीवन स्तर में सुधार के लिए जैसे मकान, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य शहरों की प्रवासन करते है।

सामाजिक असुरक्षा : गांवो एवं छोटे – छोटे कस्बों के लोगों में यह देखने को मिलता है की कुछ मामलों में जातिगत भेद – भाव, सामाजिक दबाव एवं असुरक्षा के कारण लोग अपने गांवों से निकल कर शहरों की ओर पलायन करते है।

सांस्कृतिक महत्वाकांक्ष : गांवों के लोगों को बड़े – बड़े शहरों की जीवनशैली, मनोरंजन, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की सुविधा, बुनियादी संरचना की व्यवस्था एवं आधुनिक सुविधा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।

आर्थिक कारण :

काम धंधे की तलाश में : गांवो एवं छोटे – छोटे कस्बों के लोगों को काम धंधो के लिए उद्योगों, कारखानों एवं सेवा क्षेत्रों की उपलब्धता में कमी होती है। जिसके कारण गांवो एवं छोटे – छोटे कस्बों के लोगों शहरों की ओर जैसे वाराणसी, लखनऊ, कानपूर, नोएडा, फिरोजाबाद, गाजीपुर, बरेली, मेरठ प्रवासन करते है।

लोग के पास कम आय एवं गरीबी के कारण : गांवो एवं छोटे – छोटे कस्बों में लोगों के पास पर्याप्त आय का अभाव होता है क्योंकि यहाँ के लोग कृषि कार्य पर निर्भरता होता है जिससे उत्पादन की मात्रा भी कम होता है। जिसके कारण गांवो एवं छोटे – छोटे कस्बों के लोगों अपनी आय में वृध्दि के लिए शहरों की ओर जैसे वाराणसी, लखनऊ, कानपूर, नोएडा, फिरोजाबाद, गाजीपुर, बरेली, मेरठ प्रवासन करते है।

लोग के पास कम भूमि : गांवो एवं छोटे – छोटे कस्बों के लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में भूमि का अभाव होता है क्योंकि गांवो एवं छोटे – छोटे कस्बों के लोगों के शादी होने के बाद परिवार में वृध्दि के कारण खेती योग्य भूमि का बंटवारा होता है जिस कारण खेती करना लाभकारी नहीं होता है ये लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर प्रवासन करते है।

लोगों को औद्योगिकरण एवं शहरी आकर्षण : गाँव के लोगों को शहरी क्षेत्रों में कारखानों, विनिर्माण कार्यों एवं सेवा क्षेत्रों में अधिक रोजगार उपलब्ध होता है जिसके कारण गांवो एवं छोटे – छोटे कस्बों के लोगों शहरों की ओर जैसे वाराणसी, लखनऊ, कानपूर, नोएडा, फिरोजाबाद, गाजीपुर, बरेली, मेरठ प्रवासन करते है।

आर्थिक असमानता : गांवो एवं छोटे – छोटे कस्बों के लोगों और शहरी क्षेत्रों के लोग के बीच मजदूरी दरों में अंतर होता है जिसके कारण शहरों की ओर जैसे वाराणसी, लखनऊ, कानपूर, नोएडा, फिरोजाबाद, गाजीपुर, बरेली, मेरठ प्रवासन करते है।

सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं का प्रभाव : गांवो एवं छोटे – छोटे कस्बों में बुनियादी संरचना का अभाव होता है जबकि शहरी क्षेत्रों में बेहतर सड़क, रेलवे की सुविधा, औद्योगिक सुविधा होता है जिससे के कारण गाँव के लोग शहरों की ओर जैसे वाराणसी, लखनऊ, कानपूर, नोएडा, फिरोजाबाद, गाजीपुर, बरेली, मेरठ प्रवासन करते है।

प्रवासन केवल एक जनसंख्या की गतिशीलता से नहीं होता है बल्कि यह गहराई से समाज और अर्थव्यवथा पर पड़ने प्रभाव को परिभाषित करता है। वाराणसी मण्डल (वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर) क्षेत्र में प्रवासन के कारण जहाँ एक और सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है वहीं दूसरी तरफ कई गम्भीर सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों भी उत्पन्न हो रही है।

जिसकों निम्न रूप से देखा जा सकता है –

गाँवो में स्थानीय श्रम की कमी : गांवो एवं छोटे – छोटे कस्बों से लोग निकल कर शहरों की ओर प्रवासन करते है जिसके कारण कृषि एवं निर्माण जैसे क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी हो रही है।

गाँव की उत्पादकता में कमी : गांवो एवं छोटे – छोटे कस्बों के युवा एवं कुशल जनसंख्या शहरों की ओर जैसे वाराणसी, लखनऊ, कानपूर, नोएडा, फिरोजाबाद, गाजीपुर, बरेली, मेरठ प्रवासन करते है जिससे गाँव की आर्थिक गतिविधियाँ को प्रभावित करता है।

गाँव में वित्तीय असमानता : गांवो एवं छोटे – छोटे कस्बों के युवा एवं कुशल जनसंख्या शहरों की ओर जैसे वाराणसी, लखनऊ, कानपूर, नोएडा, फिरोजाबाद, गाजीपुर, बरेली, मेरठ प्रवासन करते है। जिस कारण उनके परिवारों में समृध्द होता है जबकि अन्य गाँव के लोगों के परिवार में कोई समृध्द नहीं होता है। जिसके परिणामस्वरूप गाँवो में सामाजिक असमानता में वृध्दि होता जा रहा है।

पारिवारिक विघटन : ज्यादातर लोगों का प्रवासन कामकाज की तलाश में होता है। पुरषों की अधिकांश आबादी महानगरों या औद्योगिक इलाकों में रहती है, जबकि महिलाएँ और परिवार के अन्य सदस्य गाँवों या कस्बे में निवास करती हैं। इससे परिवार का संयुक्त ढांचा टूटता है तथा महिलाओं को घर–परिवार, खेती, बच्चों की शिक्षा और बुजुर्गों की देखभाल अकेले करनी पड़ती है। पति–पत्नी के बीच भावनात्मक दूरी भी बढ़ती है एवं उनके वैवाहिक संबंधों में भी तनाव में वृध्दि होती है। इस प्रकार की स्थिति कभी भी टूटन, वैवाहिक असंतुलन तक पहुँच जाती है।

बुजुर्गों और बच्चों की उपेक्षा : घर पर बुजुर्ग और बच्चे अकेले रहते हैं। जिससे बच्चों को अनुशासन, चिकित्सा और शिक्षा में पर्याप्त मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है तथा बुजुर्गों का जीवन कठिन होता है क्योंकि उनके पास आर्थिक संसाधन एवं देखभाल का अभाव होता है। इस प्रकार से परिवार के बुजुर्ग, महिलाएँ तथा बच्चे के सामाजिक – आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं।

नशा, तनाव, तथा अपराध में वृध्दि : महानगरों में रहने वाले प्रवासी कर्मचारियों को अक्सर कठिन और असुरक्षित हालात देखने को मिलता हैं जैसे अस्थायी झुग्गियों में रहना, अस्वास्थ्यकर वातावरण, लंबा कामकाजी समय एवं असुरक्षित नौकरियाँ। इन परिस्थितियों में मानसिक तनाव, अवसाद और अकेलेपन की समस्या और बढ़ जाती है। बहुत से प्रवासी तनाव से छुटकारा पाने के लिए शराब, तंबाकू एवं नशे का सहारा लेना पड़ता हैं। जिससे सामाजिक – आर्थिक अस्थिरता से कुछ प्रवासी छोटे अपराध या असामाजिक गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं।

सांस्कृतिक परिवर्तन : जब प्रवासी ग्रामीण या पारंपरिक समाज से शहरी और आधुनिक वातावरण में जाते हैं तो उनके रहन–सहन, कपड़े एवं भोजन सोच पर व्यापक परिवर्तन देखने को मिलते है। आधुनिक संस्कृति, उपभोक्तावाद एवं पश्चिमी जीवनशैली का प्रभाव में वृध्दि होती जा रहा है। अक्सर ग्रामीण संस्कृति, भाषाई परंपराओं तथा सामाजिक मूल्यों में यह बदलाव कमजोर करता जा रहा है। लौटकर आने वाले प्रवासी गाँवों में शहरी व्यवहार और रीति – रिवाज भी फैलते जा रहे हैं जिससे सांस्कृतिक असंतुलन और पीढ़ीगत टकराव देखने को मिल रहा है।

शहरी क्षेत्रों पर प्रभाव :

झुग्गी : विशेष रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों से आने वाले प्रवासी कामगार वाराणसी में बड़ी संख्या में झुग्गी बस्तियाँ निवास करते है। जिनमें भेलूपुर, सीरगोवर्धनपुर, चौकाघाट, मंडुवाडीह और लहरतारा को शामिल किया जाता हैं।

महंगा घर और किराया : मुख्य इलाकों (जैसे लंका, सिगरा, महमूरगंज) में मकान महंगे होने के कारण गरीब प्रवासी परिवार झुग्गियों या साझा किराए के मकानों में निवास करते है।

संकट स्वच्छता : इन बस्तियों में शौचालय, नालियाँ और साफ पानी की कमी से बीमारियाँ (जैसे डेंगू, डायरिया और हैजा) में वृध्दि होती है।

बिजली और पानी : प्रवासी परिवार जो गंगा और वरुणा नदी के किनारे रहते हैं अक्सर खराब पानी का उपयोग करते हैं। साथ ही, गर्मियों में मांग बढ़ने से बिजली की कटौती किया जाता है।

आवाजाही और परिवहन : ऑटो, ई–रिक्शा, साइकिल तथा रिक्शा की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रहा है क्योंकि लोग बाहर चले गए हैं। इससे सड़कों (जैसे लहुराबीर, चौक, गोदौलिया, लंका, डीलडबब्लू कैंट इलाका) में भीड़ और जाम हो जाता है।

सुरक्षा : पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और बी. एच. यू. अस्पताल में मरीजों की संख्या बहुत अधिक में वृध्दि हो रहा है इलाज में देरी और भारी भीड़ के कारण प्रवासी मजदूर सरकारी अस्पतालों पर निर्भर रहते है।

प्रशिक्षण : सरकारी स्कूलों में प्रवासी बच्चों की संख्या में वृध्दि हो रहा है जिससे खासकर शहर से बाहर (रिंग रोड के किनारे, शिवपुर, चिरईगांव) में। इससे शिक्षक – विद्यार्थी अनुपात कम होता है।

अनौपचारिक कामगार बाजार : वाराणसी में प्रवासी लोगों की बहुतायत बुनाई (हथकरघा और पावरलूम), निर्माण, होटल–रेस्त्रां, ढाबों एवं घरेलू काम में काम करते हैं।

नौकरी प्रतियोगिता : बिहार और झारखंड से आने वाले कर्मचारी कम वेतन पर काम करने को तैयार हो जाते है जिससे स्थानीय कर्मचारियों को भी कम वेतन मिलता है।

सामाजिक अन्याय : यद्यपि प्रवासी परिवार बुनियादी सुविधाओं से वंचित झुग्गियों में रहते हैं ये श्रमिक अमीर और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सस्ते हैं।

बुनकरों पर असर : प्रवासी मजदूरों के कारण वाराणसी का पारंपरिक हथकरघा उद्योग जीवित है लेकिन वे न्यूनतम वेतन, बीमा और श्रम अधिकारों से वंचित हैं।

उत्तर प्रदेश में प्रवासन को लेकर कई नीतियों काम कर रही है जिससे प्रवासिओं को आधिक प्राप्त हो सके। जो निम्न है–

रोजगार मिशन : उत्तर प्रदेश सरकार ने "रोजगार मिशन" की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य राज्य में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था और प्रवासी कामगारों को स्थायी आय प्रदान करना था। यह मिशन राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कामगारों को रोजगार देना चाहता है।

मुख्य लक्ष्य –

- ❖ बेरोजगार युवा और प्रवासी कर्मचारियों को नौकरी देना।
- ❖ वैश्विक नौकरी के अवसर प्रदान करना (जैसे जर्मनी, इजराइल में नौकरी)
- ❖ महिलाओं की नौकरी में भागीदारी बढ़ाना।
- ❖ श्रमिकों को न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा देना।
- ❖ अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वालों को पहचानना और उन्हें योजनाओं से जोड़ना।
- ❖ 200 करोड़ रुपये के बजट से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो युवा लोगों को विदेशों में नौकरी दिलाने में सक्षम होगा। ताकि बिचौलियों को विदेश भेजने में शोषण न हो सरकार ने खुद "रिक्रूटिंग एजेंसी लाइसेंस" लिया है।
- ❖ असंगठित और प्रवासी कर्मचारियों के लिए बीमा, पेंशन और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं को जोड़ने की कोशिश युवाओं और कर्मचारियों की स्किल का डेटाबेस बनाकर समान रोजगार प्रदान करने का प्रबंध।
- ❖ महिलाओं को नौकरी के नए अवसर मिल रहे हैं।
- ❖ बिचौलियों और अवैध संस्थाओं का शोषण कम हुआ है

प्रवासी श्रमिक आयोग : लाखों प्रवासी श्रमिक (मुख्यतः मुंबई, दिल्ली, सूरत, पंजाब से) कोविड–19 लॉकडाउन (2020) के दौरान उत्तर प्रदेश लौटे। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की पहचान, पुनर्वास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए माइग्रेंट वर्कर्स कमीशन का गठन किया। भारत में पहली बार किसी राज्य सरकार ने प्रवासी कर्मचारियों के लिए ऐसा आयोग बनाया था।

मुख्य उद्देश्य–

- ❖ प्रवासी कर्मचारियों का डेटाबेस बनाना।
- ❖ उनकी क्षमता का विश्लेषण करके उन्हें अनुकूल काम से जोड़ना।

- ❖ बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का लाभ लेना।
- ❖ राज्य में और बाहर काम करने वाले कर्मचारियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना।
- ❖ कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी, कार्यस्थल की सुरक्षा और समय पर भुगतान देना।

मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्दमिता विकास योजना : कोविड–19 लॉकडाउन (2020) के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने यह योजना प्रवासी कामगारों के लिए शुरू की। लक्ष्य था कि प्रवासी कर्मचारियों को सिर्फ मजदूरी पर निर्भर न रहना पड़े, बल्कि स्वरोजगार और उद्यमिता के माध्यम से स्थायी आजीविका प्राप्त करें।

मुख्य उद्देश्य –

- ❖ लौटे हुए प्रवासी कर्मचारियों को नौकरी और स्वरोजगार प्रदान करना।
- ❖ कर्मचारियों को उनके कौशल से उद्यमी बनाना।
- ❖ प्रदेश में स्थानीय उद्योगों, एमएसएमइ और ओडीओपी को मजबूत करना।
- ❖ सरकारी अनुदान और बैंक ऋण प्रवासी श्रमिकों को देना।
- ❖ स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करना ताकि पलायन कम हो।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अनौपचारिक श्रमिकों और प्रवासियों के लिए एक व्यापक नीति तथा व्यापक दृष्टिकोण बनाया है जिससे रोजगार, कल्याण, शिक्षा, आवास एवं सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रित किया गया है जैसे रोजगार मिशन और निर्माण श्रमिक कल्याण सुधार योजनाओं में से कई अग्रणी हैं।

निष्कर्ष :

आंतरिक प्रवासन की प्रवृत्ति ने वाराणसी, जौनपुर, चंदौली और गाजीपुर सहित बनारस मण्डल की आर्थिक और सामाजिक संरचना पर व्यापक प्रभाव डाला है। यह क्षेत्र परंपरागत रूप से कृषि और कुटीर उद्योगों (विशेषकर बुनकरी, कालीन और शिल्प) के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन संसाधनों की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, भूमि का विखंडन और कृषि आय में गिरावट के कारण बहुत से लोग अन्य जिलों और महानगरों की ओर भाग रहे हैं।

सामाजिक रूप से प्रवासन ने परिवार की संरचना को बदल दिया है। पुरुषों के परिवार से बाहर निकलने से महिलाओं की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। वे न केवल घरेलू काम कर रहे हैं, बल्कि बच्चों की शिक्षा, वृद्धों की देखभाल और आंशिक रूप से आर्थिक कार्य भी कर रहे हैं। इससे महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को गति मिली है, लेकिन इसके साथ ही सामाजिक विघटन, पारिवारिक असुरक्षा, मानसिक तनाव और बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं।

आर्थिक रूप से प्रवासन ने असमानता पैदा की है। प्रवासियों द्वारा भेजी गई धनराशि (रेमिटेंस) से परिवारों की आय, उपभोग स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च बढ़ा है, साथ ही स्थानीय निर्माण कार्य, उपभोग की मांग और ग्रामीण बाजारों की सक्रियता में भी वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, श्रमशक्ति की कमी, कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव और स्थानीय उद्योगों (विशेषकर हथकरघा और कुटीर उद्योग) में गिरावट के कारण स्थानीय उद्योगों में गिरावट होती है। प्रवास भी स्थानीय असमानताओं को उजागर करता है। जिन परिवारों को प्रवास का अवसर नहीं मिलता, उनका सामाजिक–आर्थिक स्तर ऊँचा होता है, जबकि जिन परिवारों को रेमिटेंस मिलता है, वे अपेक्षाकृत पिछड़ जाते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की सामाजिक–आर्थिक विषमता पैदा होती है।

कुल मिलाकर, वाराणसी मण्डल की अर्थव्यवस्था को आंतरिक प्रवासन ने आंशिक रूप से मजबूत किया है, लेकिन इसके बुरे प्रभाव भी गहरे हैं। न केवल आर्थिक असंतुलन, बल्कि इस क्षेत्र के विकास मॉडल की कमी भी प्रवासन से सामने आती है।

भविष्य में स्थानीय कृषि, हथकरघा, पर्यटन और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि रोजगार के अवसर आसानी से उपलब्ध हों और प्रवासन की आवश्यकता कम हो। साथ ही, प्रवासी कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लिए प्रभावी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू की जानी चाहिए।

संदर्भ :

1. Piplai,T and N Majumdar (1969). Internal Migration in India: Some Socio-Economic Implications. Sankhyā: The Indian Journal of Statistic, Series B, 31(¾), 509-522.
2. Joseph, K.V (1988). Migration and Economic Development of Kerala. Mittal Publication, Delhi.
3. Bhattacharya, P (2002). Urbanization in Developing Countries. Economic and Political Weekly, 37(41), 4219-4228.
4. Ghuman, R. S (2007).Changing Character of Rural Economy and Migrant Labour in Punjab, MPRA Paper No. 6420. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/6420
5. Roy, N and A Debnath (2011). Impact of Migration on Economic Development: A Study of some selected State, 2011 International Conference on Social Science and Humanity IACSIT Press, Singapore.
6. Vipul K S (2011). Changing Pattern of Internal Migration in India: Some Evidence from Census Data. International Journal of Current Research, 3(4), 289-295.
7. Chakroborty & Kuri (2013). Rural-Urban Migration and Urban Informal Sector in India: An Inter-State Analysis. International Journal of Current Research, 5(04), 950-956.
8. Das K.C & S. Saha (2013). Inter-state migration and regional disparities in India. Retrieved from www.iussp.org
9. Government of Uttar Pradesh. (2020). Uttar Pradesh Rojgar Mission: Employment generation initiatives for migrant workers. Lucknow: Department of Labour & Employment. https://up.gov.in
10. Government of Uttar Pradesh. (2020). Uttar Pradesh Migrant Workers Commission (UP Pravasi Shramik Aayog) notification. Lucknow: Labour Department, Government of Uttar Pradesh. http://uplabour.gov.in
11. Government of Uttar Pradesh. (2021). Mukhyamantri Pravasi Shramik Udyamita Vikas Yojana: Guidelines for migrant entrepreneurship development. Lucknow: Directorate of Industries, Government of Uttar Pradesh. https://diupmsme.upsdc.gov.in
12. Ministry of Labour and Employment, Government of India. (2022). Revision of Minimum Wages for Agricultural Workers. New Delhi: Government of India. https://labour.gov.in
13. Ministry of Labour and Employment, Government of India. (2021). National Child Labour Project (NCLP) and Child Labour Eradication Campaigns. New Delhi: Government of India. https://pencil.gov.in
14. UNICEF India. (2020). Child labour elimination initiatives in Uttar Pradesh. New Delhi: UNICEF India. https://www.unicef.org/india
15. Census of India. (2011). Migration tables: D-13 (Migrant by place of birth and last residence). Office of the Registrar General & Census Commissioner, Government of India. https://new.census.gov.in/nada/index.php/catalog/11063
16. KN Raj Library. (2019, August 1). Census of India 2011: Data on migration. https://knrajlibrary.wordpress.com/2019/08/01/census-of-india-2011-data-on-migration/
17. Singh, S. K., & Pandey, R. (2021). Patterns of migration in Uttar Pradesh: Evidence from population census. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/354713609_Patterns_of_Migration_in_Uttar_Pradesh_Evidence_from_Population_Census
18. Singh, R., & Singh, A. (2015). Pattern of remittances in Eastern Uttar Pradesh, India. ResearchGate.https://www.researchgate.net/publication/342436984_Pattern_of_Remittances_in_Eastern_Uttar_Pradesh_India
19. Reserve Bank of India. (2023). Remittances and India's foreign exchange inflows: RBI Bulletin, June 2023. RBI.https://rbi.org.in/scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=17882
20. India Business. (2023). India tops global remittance inflows with $111 billion in 2022, projected $125 billion in 2023. https://www.reddit.com/r/IndiaBusiness/comments/1coodzj